

Details List of Contractor's

SN	Name of Contractor	Nature of Job	Max. Nos. of Labour to be engaged	Remarks
1	M/s. Star O & M	Housekeeping & Coal Handling Services	30	
2	M/s. Shailendra Vikram Singh	Housekeeping	45	
3	M/s. Expert Industrial Security Services of India, 120, Ratandeeep Complex, Civil Lines, Bareilly-UP	Security Services	50	To be incorporated in the Form-II for which application is being made
4	Durgesh Kumar Mishra	Cleaning Works	13	
5	Vinod Kumar	Housekeeping/Sanitation	17	


 (P.K. Tripathi)
 FACTORY MANAGER



११३६
[नियम २१] [देखिए]

उत्तर प्रदेश सरकार

लाइसेंस अधिकारी का कार्यालय

117

06-8-12

150 = 000

क्या

(लकसो पच्चास) भाज

लाइसेंस

नियम १०७ (रजिस्ट्रेशन एण्ड एनोसिशन [एनड १९७० की धारा १२ (१) के अधीन प्रत्यक्ष मंडल बौलेन्द्र कि
सिंह मनीप्रता पानगीनार गोष्ठा दश मंडल काजापखली पाणिके कुड्डर
गोष्ठा]

अनुसूचित के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए लाइसेंस प्रोद्युक्त किया जाता है।

०९-०८-१२ से ०८/०७/१३

तक प्रस्तुत रहेगा। (हस्ताक्षर)

लाइसेंस अधिकारी का कार्यालय
बिदा बसिक अधिनियम १९७०
लाइसेंस अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा मुहर

तकनीकीकरण [नियम २६]

तकनीकीकरण
विभाग

[

तकनीकीकरण के लिए भुगतान
की गई फीस

]

समाप्ति का
दिनांक

०९-०८-१२ से ०८/०७/१३
बिदा बसिक अधिनियम १९७०
विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर

को यह निश्चित कर शर्तों के अधीन होगा :-

(१) लाइसेंस अन्तरणीय होगा ।

(२) अधिष्ठान में सविदा अधिक के रूप में सेवायोजित

जिसका बन्धन में की गई व्यवस्था के सिवाय, ब्यास्थिति लाइसेंस की स्वीकृत या तबोर्नकर के लिए नहीं होनी चाहिए, जोस लोटाई नहीं जायेगी ।

(४) सविदाकार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के मजबूत, जहां तक प्रयोज्य हो, सेवायोजना की अनुसूची के लिए लागू की जायेगी होगी और यदि दरें करार सम्मति या अधिनियम द्वारा निश्चित की गई होंगी ।

(५) उन मामलों में, जहां सविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें, जहां तक प्रयोज्य हो, सविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दर, अवकाश, काम के घटे तथा सेवा की अन्य शर्तें बही होंगी, जो अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा उसी तथा उसी प्रकार के काम के लिए सीधे-सेवायोजित कर्मकारों पर प्रयोज्य हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के प्रकार के अनुसार कोई अन्तरभावित होने की दशा में उचित विनिर्देशन अथवा आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिर्देशन अन्तिम होगा ।

(६) अन्य मामलों में, सविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दर, अवकाश, काम के घटे तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी की अथवा आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट की जाय ।

(७) प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान में, जहां सविदा अधिक के रूप में सेवायोजना अथवा अधिष्ठान में सीधे-सेवायोजित हों तो उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए युक्तयुक्त मीठा, चूने, लोहा, आदि का प्रयोग करने के लिए हीला कक्षा के स्तर में और दूसरे का प्रयोग करने के लिए सीधे-सेवायोजित के रूप में किया जायेगा । इस प्रयोजन के लिए सविदाकार को डा-कक्ष में प्रयुक्त संख्या में शिक्षा, और खेल के सामान तथा शयन-कक्षा में प्रयुक्त संख्या में चारपायों एवं बिस्तरों की व्यवस्था करना । बाल मूहों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का स्तर बही होगा जैसा कि अथवा आयुक्त द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(८) लाइसेंस कर्मकारों की संख्या या प्रकार, जो बर्तमान में किसी भी परिवर्तन की सूचना लाइसेंस अधिकारी को देना ।

कुल २४ १००-००
दिलीय एति

उत्तर प्रदेश सरकार

काश्मिर शासिका
काश्मिर शासिका १९७०
पेक्षावाद क्षेत्र

साइमन्स ब्रह्मिकारी का कार्यालय ... उपनिषद्वादी वैष्णवादि शैव वैष्णवादि

भुवनास का गैर दोस 15000 रुपया (एक लाख पच्चीस हजार)

• लाहसेरस

कन्ट्रिब्यूटर्स (रजुलेशन एण्ड एक्सीसिशन [एक्ट १९७०] की धारा १२ [१] के अधीन एतद्वारा जारी स्टार

મુ. ગ. રા. ન. જોવા સ્વર્ણ. કૃત્તિકાનુસર ગાનિપાદ કરા મેઠ બાપાજી જીર્ણિયાર

को अनुशासनक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए लाइवमश इनाकृत किया जाता है।

सा. प्र. सं. - 12431-8-13 तब प्रस्तुत रहेगा।

अप्रैल १९७०

काठमाडौं, १० मंसिर १९७०

सत्यमेव जयते

नंखीनीकुरण [निगम २६]

सबो नीकरण
दिशोकः

नशीलीकरण के लिए भुगतान
की गई फीस

समाप्ति का
दिनांक

साइससम अधिकारी।
अभिधा अभिक अभिलिखन 187।

उत्तर प्रदेश, कलकत्ता

011545040

वाइ.मे.स. १११२४४०२१३ सक. प्रदत्त प्रमाण (सिम्योरिली)

समीक्षा २५

वाइसीसय अधिकारी
अभिधा. अभिक अधिकारियस 1970